संoसंo–9 / आo–04–09 / 2023 5/3(9) / 22.05.25

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, मुगेर के पत्राक–53 दिनांक–06.01.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 रविश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर (जन्म तिथि–03.03.1994) दिनांक–10.09.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा0 सिह के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में अन्तर्निहित प्रावधानो के अन्तर्गत विभागीय सकल्प सं0–544(9) दिनांक–17 05 2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही सचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) मे आरोप प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्राक–[illegible](9) दिनांक–15 09 2023 द्वारा डा0 [illegible] से द्वितीय कारण [illegible] की गयी, जिसके [illegible] प्रत्युत्तर [illegible] दिनाक–05 10 2023 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित करने का अवसर दिया गया, परन्तु प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा। विभागीय पत्राक–1580(9) दिनाक–30 10.2023 द्वारा सिविल सर्जन, मुंगेर से डॉ० सिह का अद्यतन सूचना की मॉग की गयी। सिविल सर्जन, मुंगेर के पत्राक–63 दिनाक–08 01 2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि डा0 सिंह दिनाक–10.09 2021 से 30 06 2023 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। विभागीय पत्राक–1157(2) दिनाक–28.06 2023 के आलोक मे डा0 सिंह द्वारा दिनाक–01 07.2023 को कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुगेर में योगदान देकर प्रभार ग्रहण किया गया। पुन दिनाक–30 09 2023 से बिना सूचना के अबतक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ० सिंह कार्य करने के इच्छुक नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 सिह को सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव मे बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्राक–3693 दिनाक–31 12 2024 द्वारा आयोग की सहमति एव दिनाक–16 05.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक मे मद संख्या–33 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डा0 रविश कुमार सिह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुगेर को दिनांक–10 09 2021 से 30.06 2023 तक एवं दिनांक–30.09.2023 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश:–संकल्प की प्रति डा0 रविश कुमार सिह एवं सभी सबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/05/2025

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–9 / आ0–04–09 / 2023(स्वा0) 513(9) / **पटना, दिनांक:** 22.05.25

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एव हक०) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये मुंगेर प्रमडल, मुगेर / सिविल सर्जन, मुगेर / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15)

प्रतिलिपिः–डा0 रविश कुमार सिह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, मत्रिमडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य [illegible], बिहार, [illegible], पट[illegible] [illegible] स्वास्थ्य [illegible] स्वास्थ्य, [illegible] पटना [illegible] सूचनार्थ [illegible] कार्रवाई [illegible] प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,3,5,7,8,10,17 एव 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/05/2025

सरकार के अवर सचिव।